Abolition of Executive Class seats in Indian Airlines

6905. SHRI A.R. MALLU : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is frequent shortage of seats in Hyderabad-Delhi flights ; and

(b) if so, whether in view of such shortages on various important routes, Government propose to abolish Executive Class to make more seats available?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN) : (a) No, Sir.

(b) No such proposal is under the consideration of the Government.

Anomalies in Customs House Agents Rules, 1967

6906. SHRI DHARAM BIR SINHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether certain anomalies in the Customs House Agents Rules, 1967, have been brought to the notice of his Ministry ;

(b) if so, whether these anomalies have since been resolved ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S. M. KRISHNA) : (a) and (b) The amendment of Custom House Agents Licensing Regulations, 1965 framed under Section 146 of the Customs Act, 1962 had been under the consideration of the Central Board of Excise and Customs for some time. Suggestions had been received from time to time from various quarters pointing out certain irrationalities in the Regulations. Having regard to the criticism levelled and suggestions received the said Regulations have since been revised. The amended Custom House Agents Licensing Regulations, 1984 have been notified on 19.3.84.

(c) In view of (a) and (b) above does not arise.

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं

6907. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में स्थानवार विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं हैं ;

(ख) प्रत्येक शाखा ने वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान समेंकित ग्रामीण विकास, स्वनियोजन कृषि, वित्त, छोटे एककों को ऋण की सुविधाएं आदि के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् कितनी-कितनी धनराशि का ऋण वितरित किया है;

(ग) क्या वितरित किया गया ऋण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश शाखाओं ने सरकार द्वारा घोषित वित्तीय ऋण सहायता संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति उदासीनता दिखाई है; और

(ङ.) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सितम्बर, 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वाणिज्यक बैंकों की

क्रमश: 43 और 24 शाखाएं कार्यरत थीं। स्थान-वार ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) आंकड़ा सूचना और आंकड़ा समेकन प्रणाली से राष्ट्रीय स्तर पर जिला-वार सूचना इस प्रकार प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार प्रश्न में पूछी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधारभूत सांख्यिकी विवरणों के अनुसार अल्मोड़ा जिले में वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों की कुल बकाया रकमों की राशि मार्च, 1982 के अन्त में 539 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 1983 के अन्त में 6.77 करोड़ रुपये हो गई। पिथौरागढ़ जिले में इसी अवधि में यह राशि 3.54 करोड़ रुपये से बढ़कर 4.22 करोड़ रुपये हो गई।

(घ) और (ङ.) यदि सामान्य किस्म की शिकायतों की जांच करना व्यवहार्य नहीं है, लेकिन फिर भी, यदि हो तो किन्हीं विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई खास शिकायत हो तो उसे दूर करने के लिए जांच की जा सकती है।

बड़े औद्योगिक गृहों की ओर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का बकाया ऋण

6908. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) किन-किन बड़े औद्योगिक गृहों पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सरल शर्तों वाले ऋण काफी समय से बकाया हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के अन्त तक प्रत्येक बड़े औद्योगिक गृह की ओर कितनी राशि बकाया न होगी और उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा;

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इन ऋणों और उन पर आने वाले ब्याज को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या वह की गयी कार्यवाही से सन्तुष्ट हैं; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) के अलग-अलग ग्राहकों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए, आई०डी०बी०आई० के सहायता पोर्टफोलियों में बड़े औद्योगिक घरानों के नामों और उनकी ओर ऋणों की बकाया राशि के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती।

(ग) और (ङ.) आई०डी०बी०आई० द्वारा निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई करके, आवधिक निरीक्षणों की बारम्बारता में वृद्धि करके, व्यक्तिक्रम करने वाले प्रतिष्ठानों के प्रवर्तकों/मुख्यकार्यपालकों के साथ निरन्तर पारस्परिक बातचीत आदि के माध्यम से बड़े औद्योगिक घरानों सहित सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी देय राशियों के समय पर अदायगी किये जाने के सुनिश्चय के वास्ते सभी संभव प्रयास किये जाते हैं। सहायता प्राप्त एककों के